फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

रामेश्वरदास पिता नानूदास बैरागी निवासी बनाकिया कलां वगैरा

बनाम

हरिकिशन पिता नाथू अहीर निवासी बनाकिया कलां वगैरा

प्रकरण संख्या 30/2018 (रा.प्रा.पत्र)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.01.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने आज भी विपक्षीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. के नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए है। अधिवक्ता प्रार्थीगण को दिनांक 11.03.2020 को विपक्षीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. के नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था तथा दिनांक 22.10.2021 को रजिस्टर्ड ए. डी. के नोटिस प्रोसेस पेश करने हेतु न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया उसके पश्चात् दिनांक 25.08.2022 को पुनः अतिरिक्त अवसर देते हुए निर्देशित किया गया था कि अब नोटिस प्रोसेस पेश नहीं करने पर प्रकरण स्वतः खारिज माना जावेगा फिर भी उनके द्वारा आदिनांक तक विपक्षीगण की तामील हेतु रजिस्टर्ड ए. डी. के नोटिस प्रोसेस पेश नहीं किए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं है तथा व्यर्थ ही न्यायालय का समय जाया किया जा रहा है। अतः प्रकरण नोटिस के अभाव में आदेश 09 नियम 05 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	